जीविका
गरीबी निवारण हेतु बिहार सरकार की पहल
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार
बिहार सरकार
प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष :+91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल :: info@brlp.in, वेबसाईट : www.brlp.in

पत्रांक:-BRLPS/Proj-SD/1613/19/ 1789 दिनांक:- 06-08-2019

कार्यालय आदेश

पृथ्वी दिवस के अवसर पर दिनांक 9 अगस्त, 2019 को राज्य भर में **"जल-जीवन-हरियाली"** पर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवधि में जल, हरियाली, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा संवर्धन के प्रयोजन से जिला, प्रखण्ड तथा ग्राम के स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विशेष बल दिया जायेगा:-

- **वृक्षारोपण :-** स्थानीय स्तर पर उपलब्ध, मनरेगा एवं सरकारी पौधाशालाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये पौधे बड़े पैमाने पर लगाये जायेंगे। इसमें पीपल, बरगद, नीम, पाकड़, गूलर और आम, अमरूद, जामुन जैसे फलदार वृक्षों को अधिकाधिक संख्या में लगाया जाय।

- **जल संरक्षण** :- इस दिशा में सभी जल स्रोतों के संवर्धन, जीर्णोद्धार वर्षा जल के संरक्षण की दिशा में जन-जागरण एवं वैज्ञानिक दृष्टि का प्रचार-प्रसार किया जाय।

2. राज्य स्तर पर मुख्य कार्यक्रम पटना गाँधी मैदान के निकट अवस्थित **'बापू सभागार'** में आयोजित है। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिन के 11:00 बजे किये जाने वाला सम्बोधन को इलेक्ट्रोनिक संचार माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में देखा एवं सुना जा सकेगा।

3. जिला स्तर पर सम्बंधित जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा जहाँ माननीय मुख्यमंत्री के सम्बोधन के प्रसारण की व्यवस्था रहेगी। इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर पदस्थापित जीविका कर्मियों की उपस्थिति अपेक्षित होगी तथा जिला मुख्यालय वाले प्रखण्ड की दीदियों को निर्धारित स्थल तक लाने तथा कार्यक्रम की समाप्ति के उपरान्त उनको घर तक वापस पहुँचाने का दायित्व भी जीविका की जिला एवं प्रखण्ड इकाइयों का होगा।

4. प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के निदेशानुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा जिसमें प्रखण्ड मुख्यालय पंचायत की जीविका दीदियाँ भाग लेंगी। उन्हें निर्धारित सभा स्थल तक सुरक्षित लाने एवं घर पहुँचाने का दायित्व सम्बंधित प्रखण्ड क्रियान्वयन इकाई, क्षेत्रीय समन्वयक एवं सामुदायिक समन्वयक का होगा।

5. माननीय मुख्यमंत्री का सम्बोधन सामुदायिक संगठनों की बैठकों में (ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संघ एवं एफ०टी०आई०सी०) उपलब्ध टेलीविजन से जीविका की दीदियाँ देख-सुन सकेंगी। इसके लिए **पक्की संरचना वाले भवन का चयन** दिनांक 7 अगस्त तक कर जिला एवं राज्य इकाई को इसकी सूचना सम्बंधित प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक द्वारा दे दी जाय।

6. इस अवसर पर संकुल स्तरीय संघों एवं ग्राम संगठनों की विशेष आम सभा का आयोजन किया जायेगा तथा विस्तृत चर्चा कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज की जायेगी।

7. समूह स्तर पर चलाये जाने वाले "एक समूह - दो पेड़ अभियान" पर विस्तृत चर्चा उक्त सभा में की जायेगी तथा इस बात पर बल दिया जायेगा कि प्रत्येक दीदी कम-से-कम एक वृक्ष अवश्य लगाये। साथ ही वर्षा के जल का संरक्षण, शोख्ता गड्डा (Soak Pit) या अन्य माध्यमों से करने एवं वृक्षारोपण तथा जल संरक्षण के उपर्युक्त प्रयासों का लगातार मॉनिटरिंग ग्राम संगठन की सोसल एक्शन कमेटी द्वारा किये जाने की चर्चा भी होगी। इसपर ध्यान रखने की जरूरत होगी कि भविष्य में इन बिन्दुओं पर कार्रवाई भी हो।

8. प्रत्येक समूह में 15 अगस्त एवं 27 अगस्त को वृहत पैमाने पर एक साथ वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जायेगा।

9. उक्त बैठक में दीदियों को मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण कराने की प्रक्रिया समझायी जायेगी तथा आगामी 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को ग्राम सभा की बैठकों में वृक्षारोपण हेतु तैयार दीदी का नाम सूचीबद्ध करवाया जायेगा।

10. वृक्षारोपण के लिए **'दीदी की नर्सरी'** हेतु प्रति CLF एक ऐसी दीदी का चयन बैठक में किया जाय जिसके पास कम-से-कम आधा एकड़ जमीन तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध हों।

11. यह विशेष कार्यक्रम जल जीवन हरियाली के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से किया जा रहा है। इसलिए आयोजित कार्यक्रम में सामुदायिक स्तर पर वृक्षारोपण, उपलब्ध जल-स्रोतों के संरक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय एवं कार्यक्रम के समापन के उपरान्त निम्न प्रपत्र में सूचना राज्य कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

क्रम संख्या	नोडल कर्मी का नाम, पद एवं मोबाइल संख्या	पंचायत का नाम	ग्राम संगठन/संकुल संघ/ FTIC का नाम	बैठक स्थान एवं टी.वी. की व्यवस्था	बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की संभावित संख्या

12. प्रखण्ड एवं जिला स्तर पर भाग लेने वाले दीदियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने के लिए सुरक्षित वाहन की व्यवस्था जीविका की सम्बंधित जिला एवं प्रखण्ड इकाइयों का होगा। कार्यक्रम में भाग लेनेवाली दीदियों के नाश्ता, भोजन, पानी की आपूर्ति वाहन में ही कर दी जायेगी इसके अतिरिक्त उनके लिए अपेक्षित संख्या में मेडिकल किट की व्यवस्था भी रखी जाय।

13. **जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने वाली दीदियों के परिवहन, नाश्ता, जल, भोजन, मेडिकल किट एवं बैनर आदि की व्यवस्था हेतु प्रति दीदी अधिकतम 200 रुपये का व्यय** अनुमानित होगा जिसे **B.1.2.1.2 (Non-residential training/ orientation/meeting of member of village level CBOs including TA)** मद में दर्ज किया जायेगा। जिन वाहनों का उपयोग इस कार्यक्रम हेतु किया जाना है उसमें **"जल-जीवन-हरियाली"** विषयक संदेश फ्लेक्स तथा बैनर के माध्यम से द्वारा प्रदर्शित होगा। वाहन में ऐसे जीविका कर्मी पर्याप्त संख्या में रहेंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि वाहन का चालन नियंत्रित गति सीमा के अन्तर्गत हो। सभी इकाई इस बात पर ध्यान रखेंगे कि वैसी जीविका दीदी जो स्वस्थ न हों या जिनके छोटे बच्चे/बच्चियाँ हों उन्हें इस कार्यक्रम में नहीं लाया जाय।

14. सभी जिले के Mentor कार्यक्रम की कार्य-योजना एवं Monitoring अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

06/08/19

(बालामुरुगन डी०)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपिः-

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ वित प्रबंधक/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक।
2. विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी / मुख्य वित पदाधिकारी / प्रोक्योरमेंट स्पेशलिस्ट / प्रोक्योरमेंट ऑफिसर।
3. सभी कार्यक्रम समन्वयक/राज्य परियोजना प्रबंधक/परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित प्रबंधक/सहायक वित प्रबंधक।
4. राज्य समन्वयक, लोहिया स्वच्छता बिहार अभियान।
5. जीविका-एस०पी०एम०यू० के अन्य सभी कर्मी।